संचिका संख्या– 1प्रा0आ0–36/2002/4285/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 18/10/12

विषयः– **शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2010–एन0डी0एम0 1 दिनांक–13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने **शीत लहर** (Cold Wave)/पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष /राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नरूपेण मानक निर्धारित किया गया है:–

(क) किसी क्षेत्र को शीत लहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायगाः–

(i) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ii) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीत लहर /पाला से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

केन्द्रीय दल के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का आकलन किया जायगा। शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) से प्रभावितों को ओलापात अथवा सूखा राहत के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता दिनांक–13.08.2012 के प्रभाव से देय होगी।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

18/10
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

D:\youjana\letter 10-10-12 pr.docx

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि –सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि –उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि –निदेशक(DM-I) भारत सरकार, गृह मंत्रालय(आपदा प्रबंधन डिवीजन) लोक नायक भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक –32–3/2010 एन0डी0एम0–I दि0–13.08.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–36/2002/ 4285 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/10/12

प्रतिलिपि –मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव /उपमुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/10

प्रधान सचिव